

①

पत्रांक- ²⁵⁴⁰ / -श0वि0नि0 / उ0न0नि0-2005 / 2015

प्रेषक,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
सेवा में, समस्त, नगर आयुक्त,
नगर निगम, उत्तराखण्ड।

देहरादून: दिनांक ⁰⁵ मार्च, 2016

विषय:-

उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली), नियमावली, 2005 के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के अधिसूचना संख्या-285/IV(2)-श0वि0-2016-19 (सा0)10 दिनांक 16, फरवरी, 2016 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली), नियमावली, 2005 का प्रख्यापन किया गया है।

अतः शासन के अधिसूचना संख्या-285/IV(2)-श0वि0-2016-19 (सा0)10 दिनांक 16, फरवरी, 2016 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुभाष गुप्ता)
उप निदेशक,
कृते निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-285/IV (2) -श0वि0-2016-19 (सा0)10 दिनांक 16, फरवरी, 2016 के अनुपालन में।

2- श्री चन्द्र प्रकाश रावत, एम0आई0एस0 विशेषज्ञ, राजीव आवास योजना सूडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(सुभाष गुप्ता)
उप निदेशक,
कृते निदेशक।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-2
संख्या: 285/IV(2)- श0वि0-2016-19(सा0)10
देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2016

अधिसूचना

3006

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 02 सन् 1959) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 192 और 219, धारा 540 की उपधारा (1) और धारा 550 के साथ-साथ धारा 227 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय से सम्बन्धित पूर्ववर्ती सभी नियमों को अवकमित करते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली 2015 का प्रकाशन सरकारी अधिसूचना स0- 439/IV(2)- श0वि0-2015-19(सा0)10 दिनांक 18.04.2015 में प्रकाशित किया गया था ;

और चूँकि उक्त अधिसूचना में उल्लिखित नियत समय के भीतर प्राप्त आपत्ति या सुझावों को यथाप्रक्रिया निस्तारित कर दिया गया है ;

अतएव, अब, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 206 की उपधारा (1) व धारा 540 की उपधारा (1)(2)(3) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र के भीतर विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर निर्धारण और वसूली को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली)
नियमावली, 2015

- | | | | |
|--|----|-----|--|
| संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ | 1. | (1) | इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2015 है। |
| | | (2) | इसका विस्तार राज्य के समस्त नगर निगम क्षेत्र में होगा। |
| | | (3) | यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। |
| परिभाषाएं | 2. | (1) | जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में- |
| | | (क) | "अधिनियम" से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अभिप्रेत है; |
| | | (ख) | "विज्ञापनकर्ता" से ऐसा व्यक्ति/विज्ञापन एजेन्सी अभिप्रेत है, जिसे इस नियमावली के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो; |
| | | (ग) | "विज्ञापन प्रतीक" से विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या |